

आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम व पता	अर्चना बागला पत्नी महेन्द्र बागला नि० 26/70 बिरहाना रोड कानपुर नगर हाल पता 7/68 रतन गार्डनिया तिलकनगर कानपुर नगर मो० 9415044996
विपक्षी का नाम व पता (यदि कोई सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य पदों पर है तो उसका पद व तैनाती का आवेदक का विपक्षी का सम्बन्ध)	उमा बागला निवासी बी1 401सेवियर पार्क ओमनगर,मोहन नगर साहिबाबाद गाजियाबाद
शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत का विवरण(संक्षिप्त में)	घचेरी भाभी
जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पता व पद	आवेदिका के साथ उमा बागला, उसकी पुत्री ऋचा शर्मा पत्नी रोहन शर्मा व सहयोगी गवाह सुरेन्द्र पवार द्वारा एक राय होकर षडयन्त्र रच दान विलेख की बात छिपाते हुए रजिस्ट्री किए जाने व रुपया हड़पने के संबंध में।
घटनास्थल के निरीक्षण का दिनांक	उ०नि० तुषार अवस्थी थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर मो० न०- 8840359752
शिकायतकर्ता का बयान----	22.02.2025 अक्षांश-26.488126 देशान्तर-80.325379
आरोपी व्यक्तियों के बयान	आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके साथ उमा बागला व अन्य उपरोक्त द्वारा एक राय होकर षडयन्त्र रच दान विलेख की बात छिपाते हुए रजिस्ट्री कराने व रुपया हड़पने के संबंध में।
निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्तियों के बयान / अभिलेखीय साक्ष्य	निल
मेडिकल रिपोर्ट का विवरण(यदि हुआ)	निल
जाँच का सारांशनिष्कर्ष /	महोदय निवेदन है कि उपरोक्त आईजीआरएस, की जाँच मुझ उ०नि० द्वारा की गयी तो वाक्यात इस प्रकार है कि आवेदिका अर्चना उपरोक्त द्वारा दिनांक 01/02/25 को विपक्षी उमा बागला निवासी बी1 401सेवियर पार्क ओमनगर,मोहन नगर साहिबाबाद गाजियाबाद से मो०न०-26/70 बिरहाना रोड कानपुर नगर के एक भाग के एक तिहाई भाग का विक्रय-विलेख 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये में कराया गया था। विपक्षी द्वारा रजिस्ट्री किये गए भाग पर उसके अन्य रिश्तेदारों द्वारा अपना मालिकाना हक जताया जाने लगा। जब प्रार्थिनी के बेटे व पति द्वारा इसकी जांच करायी गयी तो ज्ञात हुआ कि उमा बागला पत्नी स्व० अनिल बागला की सास लक्ष्मी देवी बागला द्वारा 20/04/2019 को अपने पुत्र अजय बागला को अपने हिस्से का दान-विलेख किया जा चुका था जिसके चलते उमा बागला उपरोक्त मकान में सिर्फ अपने आधे भाग के 1/4 भाग की ही मालिक थी। परन्तु उमा बागला द्वारा प्रार्थिनी व उसके बेटे को धोखा देने की नियत से सही तथ्यों को छुपाते हुए रुपया हड़प लेने की नियत से विश्वास में रखते हुये मकान के आधे भाग का 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री कर अपनी पुत्री ऋचा शर्मा पत्नी रोहन शर्मा (नि० म० न० 8/9 राजेंद्र नगर सेक्टर 3, ब्लॉक 8, साहिबाबाद, गाजियाबाद) के साथ गाजियाबाद उसके घर चली गई। महोदय आवेदिका उपरोक्त द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त मामले के संबंध में उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना फीलखाना में दिया जा चुका है, तथा आवेदिका का संबंधित थाना कोहना है। जिसके संबंध में आवेदिका उपरोक्त द्वारा एक लिखित तहरीर भी दी गयी जो संलग्न रिपोर्ट है। अतः श्रीमान जी उक्त आईजीआरएस का थाना स्वरूपनगर से कोई संबंध नहीं है। उक्त आईजीआरएस की जाँच थाना कोहना से कराया जाना समाचीन होगा। रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।
जाँच से आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप सिद्ध हो रहे हैं या नहीं	निल
पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	निल
अन्य कोई तथ्य	निल

श्रीमान जी,

सादर अंग्रेसारित

(प्रभारी निरीक्षक)
थाना-स्वरूप नगर
कमिश्नरेट, कानपुर

22/02/25

अजय भा

PNO-812

थाना-स्वरूप नगर, कानपुर

22/02/25
(उ०नि० तुषार अवस्थी)
थाना-स्वरूप नगर
कमिश्नरेट, कानपुर

रौना जी,

श्री भान धाना प्रणारी महोदय
धाना स्वरूप नगर, कानपुर नगर

महोदय

निवेदन है की मैं अर्चना बागला W/O महेन्द्र बागला R/O
26/70 विरहाना रोड कानपुर नगर दाल पत्ता 7/68 सिल्क
नगर रतन गार्डनिया कानपुर नगर की निवासी हूँ मैंने द्वारा
IGR3 के माध्यम से शिकायत संख्या : 40016425010167
दर्ज कराई थी। दिये गये प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध धाना
स्वरूप नगर से ना होकर धाना फील रवाना से है जहाँ
पर मैंने द्वारा एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है।
तथा प्राथिनी का सम्बन्धित धाना कोहना है। धाना
स्वरूप नगर से किसी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता
नहीं है।

Archana Bagla.

Archana Bagla

7/68. Ratan Gardenia

9415044996.

22.2.25



GPS Map Camera

Kanpur, Uttar Pradesh, India
70/a, Khalasi Line, Swaroop Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh 208002,
India
Lat 26.488126° Long 80.325379°
22/02/25 India Standard Time

Google